



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29082024-256734
CG-MH-E-29082024-256734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674]
No. 674]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 अगस्त, 2024

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/202.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में, अध्याय-VI के बाद और अध्याय-VII से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय – VIक

जो एंट्रिटियाँ विनियमित (रेग्युलेटेड) न हों, उनसे लेनदेन आदि (डीलिंग) करने पर पाबंदी

कुछ व्यक्तियों से ताल्लुक रखने पर पाबंदी

44ख. (1) कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) या उनका कोई एजेंट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति से, जो -

- (i) किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, कोई सलाह या सुझाव आदि देता हो, तब तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा जब तक कि ऐसी सलाह या ऐसा सुझाव आदि देने के संबंध में वह बोर्ड से रजिस्टर न हो जाए या बोर्ड उसे इस संबंध में किसी और तरह की कोई मंजूरी न दे दे; या
- (ii) किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों में निवेश करने पर होने वाले मुनाफों या उसके परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई दावा करता हो, तब तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा जब तक कि बोर्ड उसे ऐसा कोई दावा करने के संबंध में मंजूरी न दे दे:

परंतु यह कि यदि किसी निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई ताल्लुक रखा जाए, तो ऐसे में इस उप-विनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) यह सुनिश्चित करेगा कि उससे या उसके एजेंट से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति जरूरी मंजूरी लिए बिना उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए कार्यों में न जुटे।

स्पष्टीकरण-1.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “ताल्लुक रखने” का अर्थ है -

- (क) पैसों का कोई लेनदेन आदि (ट्रांजैक्शन) करना या ऐसा कोई लेनदेन आदि करना जिसकी कीमत पैसों में आँकी जा सके;
- (ख) ग्राहक (क्लाइंट) बनाना;
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सिस्टम का इंटर-एक्शन;
- (घ) इसी तरह का कोई और ताल्लुक रखना।

स्पष्टीकरण-2.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म” का अर्थ होगा - वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र बोर्ड ने किया हो, और जिसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो कि यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उस गलत इस्तेमाल को पहले ही रोका जा सके और साथ ही कुछ गलत हो जाने पर उसे दुरुस्त भी किया जा सके, लेकिन वह व्यवस्था बोर्ड की नज़र में संतोषजनक होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए कोई कार्य करने के लिए न किया जा सके।

स्पष्टीकरण-3.- शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम में प्रयोग किए गए शब्दों “दूसरे व्यक्ति” में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो निवेशक शिक्षण के कार्य में जुटा हुआ हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जरूरी मंजूरी लिए बिना उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए किसी कार्य में न जुटे।

44ग. बोर्ड, विनियम 44ख के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो जाने पर, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें विनियम 49 के तहत की जाने वाली कार्रवाई शामिल है।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./443/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
 - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
 - (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
 - (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
 - (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा
 - (झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/139, द्वारा
 - (ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/148, द्वारा
 - (ट) 26 अप्रैल, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171, द्वारा

- (ठ) 10 मई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/174, द्वारा
- (ड) 29 जुलाई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/196, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th August, 2024

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/202.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Fourth Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, after Chapter VI and before Chapter VII, the following Chapter shall be inserted, namely, –

“CHAPTER VIA

RESTRICTION IN DEALING WITH UNREGULATED ENTITIES

Restriction in having association with certain persons

44B. (1) No recognized stock exchange or recognized clearing corporation or their agent, shall have any direct or indirect association, with another person who-

- (i) provides advice or any recommendation, directly or indirectly, in respect of or related to a security or securities, unless the person is registered with or otherwise permitted by the Board to provide such advice or recommendation; or
- (ii) makes any claim, of returns or performance expressly or impliedly, in respect of or related to a security or securities, unless the person has been permitted by the Board to make such a claim:

Provided that the provisions of this sub-regulation shall not apply in respect of an association through a specified digital platform.

(2) The recognized stock exchange or recognized clearing corporation shall ensure that any person associated with them or their agent does not engage in the activities mentioned in clauses (i) or (ii) of sub-regulation (1) without the necessary permission.

Explanation 1. – For the purposes of this regulation, the expression “association” shall mean-

- (a) a transaction involving money or money’s worth;
- (b) referral of a client;
- (c) interaction of information technology systems;
- (d) any other association of a similar nature or character.

Explanation 2. – For the purposes of this regulation, the expression “specified digital platform” shall mean a digital platform as specified by the Board, which has a mechanism in place to take preventive as well as curative action, to the satisfaction of the Board, to ensure that such a platform is not used for indulging in any activity as referred to in clause (i) or (ii) of sub-regulation (1).

Explanation 3. – For the removal of doubts, it is clarified that the term “another person” in this regulation shall not include a person who is engaged in investor education, provided that such a person does not, directly or indirectly, indulge in any activity as referred to in clause (i) or (ii) of sub-regulation (1) without the necessary permission.

44C. The Board may, in case of violation of any of the provisions of regulation 44B, take such action as it may deem fit including action as provided under regulation 49.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./443/2024-25]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.
 - (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
 - (g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
 - (h) 28th February, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.
 - (i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.
 - (j) 22nd August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.
 - (k) 26th April, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.
 - (l) 10th May, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/174.
 - (m) 29th July, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/196.